न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)
प्रकरण सख्याः 32/09 व 42ए/13 दायर दिनांकः 11.02.2009
जीसीएमएस नं. 2013/00735

1 जगन पुत्र पलटू (मृतक) 1/1 द्रौपती पत्नि जगन 1/2 दशरथ 1/3 तुईराम उर्फ तेजराम 1/4 मोहनसिंह 1/5 पीतम 1/6 हरकेश पुत्रान जगन 1/7 देवकी पुत्री जगन 1/8 रामा पुत्री जगन नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता द्रौपती पत्नि जगन समस्त जातियान कोली नि. भुखरावली तह. हिण्डौन जिला करौली

——वादीगण

बनाम

1 डरौली 2 रामखिलाड़ी 3 लख्मीचन्द पुत्रान मवासी 4 अतरसिंह 5 विजयसिंह पुत्रान रामकिशोर 6 ऊषा पुत्री रामकिशोर 7 विमला पत्नि रामकिशोर जातियान जाटव 8 शिब्बूराम पुत्र मूलाराम जाति बागरी ब्राह्मण 9 हकीम 10 मुनीम पुत्रान बाबू 11 अजमेरी पुत्र घूडी 12 बाबू पुत्र घूडी (मृतक) 12/1 पालो पत्नि बाबू खॉ जातियान सक्का मुसलमान नि.रणधीरगढ़ तह. भुसावर जिला भरतपुर 12/2 अमीना पुत्री बाबू खॉ पत्नि उमेद खॉ जाति सक्का मुसलमान नि. करीली तहसील टोडाभीम जिला करौली 13 कल्लू 14 अजीज 15 रफी 16 हमीद पुत्रान खाजू जातियान सक्का मुसलमान नि. रणधीरगढ़ तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

——प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता— 1.श्री राजू सैनी ——वादीगण
2.श्री पदमेश कुमार ——प्रति.सं. 1,2,3
3.श्री चन्द्रशेखर तिवारी ——प्रति.सं. 4,5,7
4.श्री वीरेन्द्र कुमार ——प्रति.सं. 8,9,10,11

निर्णय दिनांक 03.01.2025

वकील वादी द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 676 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा, 680 रकबा 13 बिस्वा, 681 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा, 903 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा, 949 रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा, 976 रकबा 02 बीघा, 1018 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, 1019 रकबा 12 बिस्वा किता 08 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम रणधीरगढ़ तह. भुसावर में स्थित है।

वादी ने उक्त वर्णित आराजीयात के 1/4 हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा तारीखी 13.10.1993 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 के पिता/पति स्व. रामकिशोर से खरीद किया था और तभी वादी का उक्त आराजीयात के 1/4 हिस्से पर कब्जा व काश्त चला आ रहा है।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व मृतक रामकिशोर द्वारा कराये गये रजिस्टर्ड वयनामा का अमल दरामद कागजात पटवार में राजस्व कर्मचारियों की भूल से नहीं हो सका था और इसी दौरान प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 16 ने षडयंत्र व साज कर वादी को उक्त आराजी से

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

महरूम व बेदखल करने के इरादे से उपरोक्त आराजी व अन्य आराजी का कानूनी रूप से विभाजन कराते हुये कागजात पटवार में अमल करा लिया। जिसकी जानकारी वादी को प्रतिवादीगण द्वारा नहीं दी गई और प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के नाम हो रही खातेदारी के इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के विभाजन में आ.ख.नं. 1019/1 रकबा 03 बिस्वा, 319 रकबा 05 बीघा, 676/1 रकबा 19 बिस्वा, 680/1 रकबा 06 बिस्वा, 681/1 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, 949/1 रकबा 16 बिस्वा किता 6 कुल रकबा 08 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम रणधीरगढ़ तह. भुसावर में आये हैं, जिनमें वादी उक्त आराजी के 1/4 हिस्सा यानि 03 बीघा 15 बिस्वा का खातेदार काश्तकार एवं काविज आराजी है और वादी का उक्त आराजी में 03 बीघा 15 बिस्वा पर विक्रय पत्र के रोज से वर्तमान पर्यन्त निरंतर कब्जा व काश्त चला आ रहा है।

वादी को वयनामा तारीखी 13.10.1993 का अमल दरामद खातेदारी कागजात पटवार में नहीं होने की व प्रतिवादीगण द्वारा वादी की अदम जानकारी में कराये गये विभाजन की जानकारी पटवारी हल्का से दिनांक 31.12.2008 को हुई तो वादी ने दिनांक 31.12.2008 को प्रतिवादीगण से बाबत कहा सुनी की तो प्रतिवादीगण ने वादी को खुलेआम धमकी दी कि तुझे अब उक्त आराजी के किसी भी हिस्से में काश्त नहीं करने देंगे और तुझे उक्त आराजी से बेदखल व महरूम कर देंगे और तेरे नाम उक्त आराजी में खातेदारी नहीं होने देंगे तथा आराजी को हमारे नाम हो रही गलत खातेदारी के इन्द्राज के आधार पर किसी दीगर व्यक्ति के रहन, वय व मुन्तकिल कर देंगे।

अतः वादी द्वारा निवेदन किया गया है कि आ.ख.नं. 1019/1 रकबा 03 बिस्वा, 319 रकबा 05 बीघा, 676/1 रकबा 19 बिस्वा, 680/1 रकबा 06 बिस्वा, 681/1 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, 949/1 रकबा 16 बिस्वा किता 6 कुल रकबा 08 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम रणधीरगढ़ में वादी वयनामा तारीख 13.10.1993 के आधार पर 03 बीघा 15 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के नाम हो रहे गलत इन्द्राज को कलमजन किया जावें।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा करायी गयी। नोटिस की ताईद में प्रतिवादीगण संख्या 1,2,3 की ओर से वकालतनामा श्री पदमेश शर्मा एड. द्वारा तथा अप्रार्थीगण संख्या 4,5,7 की ओर से वकालतनामा श्री चन्द्रशेखर तिवारी एड. द्वारा एवं प्रार्थीगण संख्या 8,9,10,11 की ओर से वकालतनामा श्री वीरेन्द्र कुमार द्वारा वकालतनामा व जवाब पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 12 की मृत्यु होने पर उसके विधिक वारिसान की बाद तलवी कोई उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई गई। दावा एवं जवाब दावे के आधार पर तनकीयात दिनांक 09.09.2021 कायम की गई। इसी दौरान वादी की मृत्यु होने पर उनकी ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 जा. दी. मय वकालतनामा श्री राजू सैनी एड. द्वारा पेश किया गया, जो बाद सुनकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। वादी वकील द्वारा संशोधित टाईटल पेश किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर वादी अधिवक्ता की बहस एकपक्षीय सुनी गई।

अतः दावे का तनकीवार नियमानुसार निस्तारण किया जाता है–

1. आया आ.ख.नं. 676/1.18, 680/0.13, 681/2.05, 903/2.17, 949/3.04, 976/2.0, 1018/1.09, 1019/0.12 वाके ग्राम रणधीरगढ में स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

तनकी संख्या 1 को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। इसके पक्ष में वादीगण द्वारा जमाबन्दी पेश की गई है। अतः तनकी संख्या 1 वादी के हक में निर्णित की जाती है।

2. आया विवादित आराजी के 1/4 हिस्सा को वादी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड वयनामा तारीख 13.10.1993 को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 से खरीदा है जिसपर कब्जा काश्त चला आ रहा है।

तनकी संख्या 2 को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है, जिसकी एवज में वादीगण द्वारा रजिस्टर्ड वयनामा पेश किया गया है। अतः तनकी संख्या 2 वहक वादीगण निर्णित की जाती है।

3. आया उपरोक्त वयनामा का अमल दरामद कर्मचारियों की भूल से नहीं हो सका।

उक्त तनकी संख्या 3 को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। इसके पक्ष में वादीगण द्वारा जमाबन्दी एवं रजिस्टर्ड वयनामा पेश किया गया है। अतः तनकी संख्या 3 वहक वादीगण निर्णित की जाती है।

4. आया प्रतिवादीगण द्वारा वादी को खुलेआम दिनांक 13.12.2008 को धमकी दी गई।

उक्त तनकी संख्या 4 को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। इसके पक्ष में वादीगण द्वारा दौराने बहस जुबानी अवगत कराया गया। अतः तनकी संख्या 4 वहक वादीगण निर्णित की जाती है।

5. आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

तनकी संख्या 5 को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। इस बाबत दौराने बहस वादीगण दावे के निस्तारण होने तक स्थगन बाबत निवेदन किया गया है। अतः तनकी संख्या 5 वहक वादीगण निर्णित की जाती है।

6. आया मद संख्या 1 में वर्णित आराजीयात होना स्वीकार है।

——प्रतिवादीगण

7. आया विवादित आराजीयात ग्राम रणधीरगढ़ में स्थित है। जिसके मुताबिक जमाबन्दी के अनुसार सहखातेदार काश्तकार एवं काविज आराजी है।

——प्रतिवादीगण

8. आया दावा वादी ने प्रतिवादीगण को तंग एवं परेशान करने की नियत से पेश किया गया है।

——प्रतिवादीगण

अतः तनकी संख्या 6,7,8 के संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य या सबूत पेश नहीं करने पर उक्त तनकीयात विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है। चूँकि उक्त से संबंधित में प्रतिवादीगण के अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं आये।

तनकी वार निर्णयानुसार तनकी संख्या 1 लगायत 5 वहक वादीगण निर्णित होने एवं तनकी संख्या 6,7,8 विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित होने के कारण वादीगण का वाद डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। वादीगण को आ.ख.नं. 1019/1 रकबा 03 बिस्वा, 319 रकबा 05 बीघा, 676/1 रकबा 19 बिस्वा, 680/1 रकबा 06 बिस्वा, 681/1 रकबा 03 बिस्वा 949/1 रकबा 16 बिस्वा किता 6 रकबा 08 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम रणधीगरढ़ तह. भुसावर में वादी वयनामा तारीखी 13.10.1993 के आधार पर रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजी में वादीगण के

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

हिस्से पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के नाम हो रहे गलत इन्द्राज को कलमजन किया जावें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। वादी के निहित हिस्से रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा के कब्जे, काश्त एवं उपयोग व उपभोग में दखल न डालें तथा रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। तदनुसार पर्चा डिक्री मुरत्तिव हो।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2025 को मेरे द्वार लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)